

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में लमचूला-गनीगांव मोटर मार्ग का निर्माण ।

काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में दस गुना वृक्षों अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों के रोपण हेतु प्राक्कलन मय रख-रखाव
(1 है0 से कम के प्रस्तावों के लिए)

मोटर मार्ग के संरेखण में कुल 12 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं अतः 120 वृक्षों के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राविधान करते हुए वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन संलग्न है।

वन क्षेत्र अधिकारी
वज्यूला (गडखेत)
गडखेत (वज्यूला)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में लमचूला-गनीगांव मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि.मी. के निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.802 हे० वन भूमि के बदले प्रभावित होने वाले 12 वृक्षों के दस गुना वृक्षों के रोपण हेतु वृक्षारोपण योजना।

- परियोजना का नाम- लमचूला-गनीगांव मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी०
- पौधारोपण स्थल का नाम- प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि में रिक्त स्थानों पर।
- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - $12 \times 10 = 120$ पौध
- रोपित की जाने वाली प्रजाति - हरड़, आवला, बहेड़, बांज, फल्यांट, कैराल, भीमल, शैठा आदि।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं एवं सीमांकन	1.00	97.00	97.00
2	स्थल सफाई एवं झाड़ी कटान।	1.00	584.00	584.00
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य आदि (10 हे० को आधार मानकर)	1.00	7750.00	7750.00
4	कुली दीवाल निर्माण प्रति हे० 84 घ०मी० औसत	84	315.00	26460.00
5	गड़ड़ा खुदान (0.30 x 0.30x 0.45)	120	7.33	879.60
6	निरीक्षण बटिया	1.00	485.00	485.00
7	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	120	5.89	706.80
8	औजार तेज कराई		LS	400.00
	1- प्रथम चरण का योग			37362.40
1	गड़ड़ा भरान (0.30 x 0.30x 0.45)	120	1.15	138.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष।	120	1.15	138.00
3	पौध दुलान कार्य (25 % नंगी तथा 75 % वैग पौध रोपण तथा 25 कि.मी. वाहन व 3 कि०मी० सिरवाझ औसत पर)	120	6.39	766.80
4	पौधारोपण व धावलबंदी	120	2.06	247.20
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	120	0.76	91.20
6	रसायनिक खाद व दवा प्रति सैकड़ पौध।	120	0.21	0.25
7	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 हे० पर)।	1.00	4768.00	4768.00
8	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.00	350.00	350.00
9	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.00	225.00	225.00
10	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.00	400.00	400.00
11	ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
12	अन्य व्यय जैसे साईन बोर्ड, वर्ष में 2-3 बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डैवयूनिटेशन आदि कार्य।	1.00	LS	700.00
	2- द्वितीय चरण का योग			8024.45
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुसक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.00	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.00	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
5	ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	3- तृतीय चरण का योग			8237.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुसक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.00	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.00	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
5	ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	4- चतुर्थ चरण का योग			8237.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुसक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हे० के आधार पर)।	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.00	200.00	200.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.00	150.00	150.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
5	ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	5- पंचम चरण का योग			8012.00

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हैठ के आधार पर)।	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.00	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.00	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
5	ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	6- षष्ठम चरण का योग			8237.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हैठ के आधार पर)।	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.00	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.00	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
5	ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	7- सप्तम चरण का योग			8237.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हैठ के आधार पर)।	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.00	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.00	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
5	ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	8- अष्टम चरण का योग			8237.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हैठ के आधार पर)।	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.00	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.00	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
5	ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	9- नवम चरण का योग			8237.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 हैठ के आधार पर)।	1.00	7152.00	7152.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.00	350.00	350.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	1.00	225.00	225.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ- प्रशिक्षण	1.00	310.00	310.00
5	ब- प्रोत्साहन	1.00	200.00	200.00
	10- दशम चरण का योग			8237.00
	महायोग (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्ठम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम चरण)			111057.85
	(एक लाख ग्यारह हजार अठान्न रूपये मात्र)		अर्थात् ₹०	111058.00

वनसंरक्षक अधिकारी
बज्जुल(गडखेत)
बज्जुल(गडखेत)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर
बागेश्वर